उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0– 60 / छः–पु0–9–17–167जी / 09–न्याय–2
लखनऊः दिनांकः 07 सितम्बर,2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–49, सन् 1988) की धारा–3 की उपधारा (1) और धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी अन्य समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपर्युक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा–3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतद्पश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किए जायें, के विचारण के लिए स्तम्भ–4 में उल्लिखित क्षेत्रों हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें सन् 1988 के उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप–पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र में उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से संबंधित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हो, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया जायेगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

अनुसूची

क0 सं0	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र (जिला)
1	2	3	4
1.	श्री वत्सल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–4, लखनऊ	गोरखपुर, फर्रूखाबाद, मिर्जापुर उन्नाव, सोनभद्र, सीतापुर, गाजीपुर, देवरिया तथा बाराबंकी

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या–यू0ओ0–60 (1) / छः–पु0–9–17–167जी / 09–न्याय–2 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांकः सितम्बर, 2017 की तिथि में प्रकाशित करने तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियॉ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या–यू0ओ0–60 (2) / छः–पु0–9–17–167जी / 09–न्याय–2 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–2) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- संयुक्त निबन्धक, (न्यायिक)(सेवायें), मा0 उच्च न्यायालय को उनके पत्रांक-5282/मेन-बी/एडमिन(ए-3), दिनांक 22.4.2017 के संदर्भ में।
4- सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
8- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9- सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- जिला जज, लखनऊ।
11- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
13- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
14- सदस्य सचिव, उ0प्र0 कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड, 510, जवाहर भवन, लखनऊ।
15- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0,लखनऊ।
16- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5
17- **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
18- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।